	28/12/22	नामान्तरण जरिए [illegible] [illegible] उत्तराधिकार उत्त०। नामान्तरण अधिकारी [illegible] [illegible] परमेश्वर उर्फ पाली पुत्र स्व. [illegible] के 1/12 हिस्से की मृत्यु होने से 1/24 हिस्से का [illegible] घोषित किया जाता है व प्रतिवादी [illegible] 01 [illegible] 3 [illegible], [illegible] पुत्र [illegible] [illegible] उर्फ [illegible] व [illegible] [illegible] [illegible] उर्फ [illegible] को साथ 1/24 हिस्से का [illegible] घोषित किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए। [illegible] [illegible] [illegible] जारी की जावे। [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] की जावे। नामान्तरण

रायपुर शहर प्रथम

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
[illegible] शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

लय सहायक कलक्टर जयपुर शहर

रविशंकर **बनाम** [illegible] वर्मा

ा संख्या / वर्ष : दावा- 58/2021 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	उभय पक्षकारान अधिवक्तागण बहस सुनी एवं पत्रावली अवलोकन की। निर्णय आज दिनांक 28/2/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अरशदीप बरार (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती अरशदीप बराड़(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 58/2021

1. राकेश पुत्र स्व0 श्री हरिशंकर
2. कानाराम पुत्र स्व0 श्री हरिशंकर

—वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री देव्या उर्फ देवीलाल
2. मुकेश पुत्र स्व0 श्री देव्या उर्फ देवीलाल
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
3. संतोष बेवा लाला उर्फ लालाराम जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
4. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 श्री नाथूलाल पत्नी स्व0 श्री देव्या उर्फ देवीलाल जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
5. संतोष पत्नी स्व0 हरिशंकर जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
6. करणा पुत्र गोगाराम
7. अनिता पुत्री करणा
8. हंसराज पुत्र करणा
9. राकेश पुत्र करणा
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम आला का बास, तहसील फुलेरा सांभरलेक, जिला जयपुर।
10. श्रीमती कोयली देवी पुत्री स्व0 श्री नाथू पत्नी श्रवण, जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई हाल निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
11. कैलाश पुत्र ओंकार
12. हनुमान पुत्र स्व0 श्री मन्नालाल
13. गेंदीलाल पुत्र स्व0 श्री मन्नालाल
14. राजूलाल पुत्र स्व0 श्री मन्नालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली माता घीसी देवी
15. रमेश पुत्र स्व0 श्री मन्नालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली माता घीसी देवी
    समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
16. जगदीश पुत्र प्रेमा, जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।

.............प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक एवं हुक्म इम्तनाई अन्तर्गत धारा
88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांकः– 28/2/2022

वादीगण की ओर से प्रस्तुत [illegible] से है : आराजी खसरा नं0 768 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, [illegible] 773 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 774 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 775 रकबा [illegible] खसरा नं0 768/987 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 768/988 [illegible] 01 बिस्वा, खसरा नं0 737/2/1011 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 [illegible]/2/1012 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 68 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 1057/1012 रकबा 0.5691 हैक्टे0, खसरा नं0 1082/1011 रकबा 0.5311 हैक्टे0, खसरा नं0 768 रकबा 9.2066 हैक्टे0, खसरा नं0 768/987 रकबा 1.3911 हैक्टे0, खसरा नं0 768/988 रकबा 0.0126 हैक्टे0, खसरा नं0 773 रकबा 0.0253 हैक्टे0, खसरा नं0 774

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

रकबा 0.0126 हैक्टे0 कुल किता 7 कुल रकबा 11.7484 हैक्टे0, खसरा नं0 775 रकवा 5.5644 हैक्टे0 भूमि ग्राम पिण्डोलाई, पटवार हल्का माचवां, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र कालवाड तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण के दादा स्व0 बुद्धा की 1/3 हिस्से की खातेदारी निहित थी। स्व बुद्धा के फौत होने पर बुद्धा के चार पुत्रों नाथू देव्या उर्फ देवीलाल, हरिशंकर एवं पांचूराम उर्फ पांच्या के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई तथा प्रत्येक पुत्र के 1/12–1/12 हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया। स्व0 बुद्धा का पुत्र पांचूराम उर्फ पांच्या अविवाहित था , जो शुरू से ही साधु प्रवृति का व्यक्ति था, इस कारण उसने दिनांक 26.04.1990 को एक घोषणा पत्र तहरीर कर दिया जिसमें उसने लिखा कि **"मैं अब संन्यासी जीवन जीने हेतु सन्यास ग्रहण कर आजीवन साधु सन्यासियों की सेवा कर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इस कारण में मेरे 1/12 हिस्से की भूमि को मेरे भाई हरिशंकर तथा देव्या उर्फ देवीलाल के पक्ष में देने की घोषणा करता हूँ। तथा मेरे हिस्से की भूमि का उपयोग करे खातेदारी प्राप्त करे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।"** पांचूराम उर्फ पांच्या ने अपने हिस्से की भूमि का कब्जा अपने उक्त दोनों भाइयों को संभला दिया, जो अपने जीवनकाल में भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते रहे। वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता के फौत होने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 करीब 30 वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। पांचूराम उर्फ पांच्या 30 वर्ष से भी अधिक समय से घर से साधु संतो के साथ चला गया जो आज तक वापस लौट कर नहीं आया तथा उसके जीवित अथवा मृत होने की सूचना भी वादीगण को नहीं है। पांचूराम उर्फ पांच्या के घोषणा पत्र के आधार पर विवादित भूमि के 1/24 हिस्से की भूमि की घोषणा वादीगण के पिता हरिशंकर व 1/24 हिस्से की भूमि की घोषणा प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 3 के ससुर देव्या उर्फ देवीलाल के हिस्से में आ गई। वादीगण के पिता स्व हरिशंकर के फौत होने पर उनके पुराने सामान के देखा तो उक्त घोषणा पत्र की फोटोप्रति वादीगण को मिली इसलिये पांचूराम उर्फ पांच्या के 1/12 हिस्से की भूमि के बाबत खातेदारी की घोषणा हेतु यह दावा पेश किया व अपने हिस्से की घोषणा चाही।

वाद पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व 3 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया एवं प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 की ओर से भी जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि यदि वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है एवं सहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादीगण सं0 6 लगायत 9 का वकालतनामा प्राप्त हुआ परन्तु जवाब हेतु अनेक अवसर देने के बावजूद जब अधिवक्ता दिनांक 09.02.2022 को भी उपस्थित नही हुये तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 10 से 16 की पूर्ण तामील करवाई गई। प्रतिवादी सं0 10 ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया व 11 से 16 चस्पानगी तामील बावजूद उपस्थित नही हुये अतः उनके खिलाफ दिनांक 09.02.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद के निर्णय के संबंध में न्यायालय द्वारा निम्नांकित [illegible] कायम की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वादग्रस्त आराजी [illegible]

.......जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी में वादीगण के दादा [illegible] बुद्धा का 1/3 हिस्सा निहित था एवं उसके फौत होने पर बुद्धा के चारों पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया।

.......जिम्मे वादी

अरश[illegible] (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
[illegible] प्रथम

3. आया स्व0 बुद्धा के पुत्र पांचूराम उर्फ पांच्या ने दिनांक 26.04.1990 को वादग्रस्त आराजी में अपने 1/12 हिस्से की भूमि के बाबत अपने भाइयों हरिशंकर तथा देव्या उर्फ देवीलाल के हक में घोषणा पत्र तहरीर कर दिया था।

.......जिम्मे वादी

4. आया वादग्रस्त आराजी में पांचूराम उर्फ पांच्या के निहित हिस्से पर दिनांक 26.04.1990 से वादीगण के पिता काबिज रहे व उनके फौत होने पर वादीगण आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

.......जिम्मे वादी

5. आया वादग्रस्त आराजी में पांचूराम उर्फ पांच्या के निहित 1/12 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि के बाबत वादीगण खातेदारी हेतु इस्तकरार हक का वाद लाकर खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है।

.......जिम्मे वादी

6. आया प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी में पांचूराम उर्फ पांच्या के निहित 1/12 हिस्से की भूमि में से 1/2 अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/24 की भूमि के बाबत जरिये काउन्टर क्लेम भूमि की खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है।

.......जिम्मे प्रतिवादी सं0 1 से 3

7. आया वादग्रस्त आराजी में पांचूराम उर्फ पांच्या के निहित हिस्से पर दिनांक 26.04.1990 से प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता काबिज रहे एवं उनके फौत होने पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 उस आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

.......जिम्मे प्रतिवादी सं0 1 से 3

तनकी उपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। वादीगण की ओर से वादपत्र के समर्थन में घोषणा पत्र दिनांक 26.04.1990 की फोटोप्रति प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 प्रदर्श 2, जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2059 व 2066 से 2069 प्रदर्श 3 पेश किये गये तथा बतौर साक्ष्य शपथ पत्र PW1 राकेश व PW2 कानाराम पुत्र स्व0 हरिशंकर पेश किये गये। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जिरह करने से मना किया। वादी की साक्ष्य बंद कर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 को साक्ष्य का अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने बतौर साक्ष्य शपथ पत्र PW1 बाबूलाल एवं PW2 मुकेश पुत्र स्व0 देवीलाल पेश किये। वादीगण के अधिवक्ता ने जिरह करने से मना किया।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 व 4 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा मौखिक बहस की गई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय आरआरटी 2014 (2) पृष्ठ 901 पेश किया एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 की फोटोप्रति व Gulab vs Board of Revenue 2006 (WLC) पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम बहस में वादी ने उल्लेख किया कि [illegible] अधिनियम 1872 सेक्शन 65 (सी) के तहत कुछ [illegible] secondary साक्ष्य के रूप में दी जा सकती [illegible] प्रदर्श 1 पर किसी भी प्रतिवादी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की। अतः यह [illegible]वेज admitted fact की श्रेणी में माना जाये।

वादी ने अपनी बहस में दूसरा बिंदु बहस यह रखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 108 के तहत यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से लगातार 7 वर्ष तक गैर हाजिर है और उन लोगों द्वारा जिन्हे कि उसे

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सुनना चाहिये व कुछ नहीं सुनते है तो वह इस धारा के अन्तर्गत मृतक अपधारित किया जायेगा। वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता ने सहमति दी पांचूराम को 26.04.1990 से घर छोडे 30 वर्ष से अधिक हो चुके है व इन वर्षों में उसकी कोई खबर प्राप्त नहीं हुई। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 108 के तहत उसे मृतक माना जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 3 उसकी जमीन की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने तीसरा बिंदु यह रखा कि मीणा जाति में पुत्र उत्तराधिकारी के होते पत्नि व विवाहित बेटियों का पिता की सम्पति में हिस्सा नहीं होता। इस बाबत वादी द्वारा Raj High Court Jaipur Bench Bhooli (smt) vs Chanda 2014(2) RRT 901 व Gulab vs Board of Revenue 2006 (WLC) पेश किये जिसमें यह उल्लेखित है " मीणा समुदाय में पत्नि व विवाहित बेटियां अपने पिता/पति की सम्पति को दाय करने की हकदार नहीं होती। " इस आधार पर वादी सं0 1, 2 व प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने उनके पिता हरिशंकर व देवीलाल के वारिस होने के आधार पर अपने पिता के हिस्से अनुसार घोषणा चाही है।

अन्त में वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 3 की पैतृक सम्पति है जो वादीगण के दादा बुद्धा से उसके पिता व पिता के अन्य भाइयों को प्राप्त हुई है। वादीगण के दादा बुद्धा के चार बेटे देवीलाल, हरिशंकर, नाथू व पांचूराम थे, जिनको बुद्धा के फौत होने उपरान्त उसकी सम्पति में बराबर 1/12–1/12 का हिस्सा मिला। नाथू बिना किसी पुत्र (मीणा समुदाय अनुसार उत्तराधिकारी) फौत हो गया तो उसकी पत्नी सरस्वती ने देवीलाल का चूडा पहन लिया। वादी के चाचा पांचूराम दिनांक 26.04.1990 को अपने हिस्से की पैतृक भूमि की देवीलाल व हरिशंकर के नाम घोषणा कर साधुओं के साथ चले गये। अतः 30 साल से पांचूराम की कोई खबर न मिलने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत उसे मृतक मान वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 3 (हरिशंकर व देवीलाल के वारिसान), पांचूराम के हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 6 से 16 वादी के संयुक्त परिवार के अन्य सदस्य है जिनको पक्षकार बनाया गया परन्तु वादी को उनसे किसी किस्म का अनुतोष नहीं चाहिये। वादी द्वारा सभी पक्षकारान की पूर्ण तामील करवायी गई परन्तु किसी भी पक्षकार ने कोई आपत्ति पेश नहीं की। प्रतिवादी सं0 4 व 5 जो देवीलाल व हरिशंकर की पत्नी है ने अपने–अपने हिस्से की भूमि अपने बेटों को देने बाबत सहमति दी। अतः वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्तलिखित सभी तथ्यों के अनुसार पांचूराम के हिस्से की भूमि की घोषणा वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 3 के नाम कर दी जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

वाद के उचित निर्णय हेतु निम्नलिखित अनुसार [illegible] निर्णय किया गयाः–

तनकी सं0 1 आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की [illegible] भूमि है।

.....जिम्मे वादी

तनकी सं0 2 आया वादग्रस्त आराजी में वादीगण के दादा स्व0 बुद्धा का 1/3 हिस्सा निहित था एवं उसके फौत होने पर बुद्धा के चारों पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया।

.......जिम्मे वादी

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

तनकी सं0 1 व 2 आपस में जुडे होने के कारण उनका निर्णय साथ में किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्नलिखित जमाबंदिया प्रदर्श के रूप में पेश की

(1.) सम्वत् 2048 से 2059

(2.) सम्वत् 2066 से 2069

(3.) सम्वत् 2074 से 2077

इन तीनों जमाबंदियों के अनुसार इस भूमि में बुद्धा का 1/3 हिस्सा प्रतीत होता है जो उसके फौत होने उपरान्त उसके चारों पुत्रों नाथू, हरिशंकर, देव्या/देवीलाल व पांचूराम को बराबर 1/12–1/12 मिली व प्रस्तुत जमाबंदियों में बुद्धाराम के चार पुत्रों व उनके वारिसान सम्वत् 2048 से लगातार दर्ज आ रहा है। यह दस्तावेज एक पब्लिक डोमेन का दस्तावेज है व किसी भी पक्षकार ने इन दस्तावेजों (जमाबंदियों) बाबत कोई आपत्ति पेश नहीं की। अतः विवादग्रस्त भूमि का वादीगण की पैतृक भूमि होना सिद्ध होता है, जिसमें उसके दादा बुद्धा का 1/3 हिस्सा था। यह तनकी सं0 1 व 2 पूर्ण रूप से वादी के पक्ष में तय होती है।

तनकी सं0 3 आया स्व0 बुद्धा के पुत्र पांचूराम उर्फ पांच्या ने दिनांक 26.04.1990 को वादग्रस्त आराजी में अपने 1/12 हिस्से की भूमि के बाबत अपने भाइयों हरिशंकर तथा देव्या उर्फ देवीलाल के हक में घोषणा पत्र तहरीर कर दिया था।

.......जिम्मे वादी

तनकी सं0 4 आया वादग्रस्त आराजी में पांचूराम उर्फ पांच्या के निहित हिस्से पर दिनांक 26.04.1990 से वादीगण के पिता काबिज रहे व उनके फौत होने पर वादीगण आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

.......जिम्मे वादी

तनकी सं0 7 आया वादग्रस्त आराजी में पांचूराम उर्फ पांच्या के निहित हिस्से पर दिनांक 26.04.1990 से प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता काबिज रहे एवं उनके फौत होने पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 उस आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

.......जिम्मे प्रतिवादी सं0 1 से 3

तनकी सं0 3, 4 व 7 आपस में जुडे होने के कारण उनका निर्णय साथ में किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 पांचूराम उर्फ पांच्या के द्वारा दिनांक 26.04.1990 को तहरीर कर दिया गया था जिसमें उसने अपने 1/12 हिस्से की भूमि को अपने भाइयों हरिशंकर तथा देव्या उर्फ देवीलाल के पक्ष में देने की घोषणा की है एवं [illegible] संभला दिया था। इस दस्तावेज को किसी भी प्रतिवादी द्वारा जिरह [illegible] किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य नियमों का सेक्शन 90 (Presumption [illegible] thirty years old) पेश कर स्पष्ट किया [illegible] document, purporting or proved to be thirty years old, is produced from [illegible] custody which the court in the particular case considers proper, the Court may presume that the signature and every other part of such document, which purports to be in the hand writing of any particular person, is in that person's handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested."

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

अतः वादी का यह कहना कि प्रदर्श 1 नोटोराइज्ड घोषणा पत्र जिसमें पांचूराम द्वारा उसके हिस्से की भूमि की घोषणा वादी के पिता हरिशंकर व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता देवीलाल के नाम 26.04.1990 को कर दी थी, निर्विरोध तथ्य रहा। अतः तनकी सं0 03 वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

तनकी सं0 4 व 7 में कब्जे हेतु विचार किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि हरिशंकर तथा देव्या उर्फ देवीलाल दिनांक 26.04.1990 के पश्चात् पांचूराम उर्फ पांच्या की 1/12 हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते रहे एवं उनके फौत होने पर भूमि के 1/24 पर वादीगण एवं 1/24 हिस्से पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

इस बयान पर न वादी द्वारा न प्रतिवादी द्वारा कोई जिरह की गई। इस वाद में न्यायालय द्वारा कब्जे के हिसाब से खातेदारी प्रदान करने पर विचार नहीं किया जा रहा केवल कब्जे बाबत जानकारी लेने हेतु ही यह तनकी कायम की गई थी। अतः यह मूल/मुख्य तनकी न होकर उचित निर्णय के लिये केवल एक सहायक तनकी है।

तनकी सं0 5 आया वादग्रस्त आराजी में पांचूराम उर्फ पांच्या के निहित 1/12 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि के बाबत वादीगण खातेदारी हेतु इस्तकरार हक का वाद लाकर खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है।

.......जिम्मे वादी

तनकी सं0 6 आया प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी में पांचूराम उर्फ पांच्या के निहित 1/12 हिस्से की भूमि में से 1/2 अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/24 की भूमि के बाबत जरिये काउन्टर क्लेम भूमि की खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है।

.......जिम्मे प्रतिवादी सं0 1 से 3

प्रस्तुत दस्तावेजों, वाद पत्र व बयानों के आधार पर उक्तवर्णित तनकी निर्णय अनुसार न्यायालय यह पाता है कि वादी के दादा बुद्धा का वाद मद सं0 2 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा था। बुद्धा के फौत होने उपरान्त प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार बुद्धा के चार पुत्रों हरिशंकर, देवीलाल, नाथू व पांचूराम के नाम बराबर 1/12–1/12 हिस्सा दर्ज हुआ व वह या उनके वारिसान इस भूमि पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है। सन् 1990 में बुद्धा के बेटे पांचूराम ने एक नोटोराइज्ड घोषणा पत्र के अनुसार अपने 1/12 हिस्से की भूमि घोषणा अपने भाइयों देवीलाल व हरिशंकर के नाम कर दी। वादी द्वारा स्पष्ट किया गया कि बुद्धा के चौथे पुत्र नाथू का बहुत साल पहले स्वर्गवास [illegible] व उसकी पत्नी सरस्वती ने अपने देवर देवीलाल [illegible] साक्ष्य प्रदर्श 2 व 3 में भी यह स्पष्ट है कि [illegible] हिस्से की भूमि उसकी पत्नी सरस्वती [illegible] इस शादी से नाथू व सरस्वती के कोई पुत्र नही था (मीणा समुदाय के अनुसा[illegible]राधिकारी नहीं था)। उसके उपरान्त पांचू के दो प्रथम श्रेणी वारिसान उसके दो भाई देवीलाल व हरिशंकर बचे, जिनके नाम पांचूराम ने जरिये नोटोराइज्ड घोषणा पत्र (प्रदर्श 1) अपने हिस्से की भूमि की घोषणा कर दी। पांचू की इस भूमि पर पहले हरिशंकर व देवीलाल व उनके फौत बाद वादी सं0 1, 2 व प्रतिवादी सं0 1 से 3 काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

काश्त है, एक निर्विरोध तथ्य है, जिस पर किसी भी प्रतिवादी द्वारा आपत्ति पेश नही की गई।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि घोषणा पत्र के आधार पर व सन् 1990–2000 में पांचूराम के जीवित प्रथम श्रेणी वारिसान होने के नाते हरिशंकर व देवीलाल, पांचूराम की 1/12 हिस्से की भूमि की अपने नाम घोषणा करवाने के अधिकारी है। सेक्शन 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार खातेदारी अधिकार Personal Law के मुताबिक डिवाल्व होते है। वादी द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त Raj High Court Jaipur Bench Bhooli (smt) vs Chanda 2014(2) RRT 901 व Gulab vs Board of Revenue 2006 (WLC) के अनुसार मीणा समुदाय में पत्नि व विवाहित बेटियां अपने पिता/पति की सम्पति को दाय करने की हकदार नहीं होती।

अतः उक्तलिखित साबित तथ्यों व न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर तनकी सं0 5 वादी के पक्ष में व तनकी सं0 6 प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 के पक्ष में तय होती है।

उपरोक्त अनुसार तनकी सं0 1, 2, 3, 4 व 5 वादी के पक्ष में तथा तनकी सं0 6 व 7 प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पक्ष में निर्णित हुई है। उक्त लिखित तनकीवार निर्णय अनुसार वादी सं0 1 राकेश पुत्र स्व0 हरिशंकर पुत्र स्व0 बुद्धा व वादी सं0 2 कानाराम पुत्र स्व0 हरिशंकर पुत्र स्व0 बुद्धा को वाके ग्राम पिण्डोलाई, पटवार हल्का माचवां, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र कालवाड, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नं0 1057/1012, खसरा नं0 1082/1011, खसरा नं0 768, खसरा नं0 768/987, खसरा नं0 768/988, खसरा नं0 773, खसरा नं0 774, खसरा नं0 775 में पांचूराम उर्फ पांच्या पुत्र स्व0 बुद्धा के 1/12 हिस्से की भूमि में से 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 बाबूलाल, मुकेश पुत्र स्व0 श्री देव्या उर्फ देवीलाल व संतोष बेवा लाला उर्फ लालाराम को शेष 1/24 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार नामांतकरण किया जाये। निर्णय अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। निर्णय आज दिनांक 28/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

(अरशदीप बराड)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व

इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़** (आर.ए.एस.)

1. राकेश पुत्र स्व0 श्री हरिशंकर
2. कानाराम पुत्र स्व0 श्री हरिशंकर

—वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री देव्या उर्फ देवीलाल
2. मुकेश पुत्र स्व0 श्री देव्या उर्फ देवीलाल
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
3. संतोष बेवा लाला उर्फ लालाराम जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
4. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 श्री नाथूलाल पत्नी स्व0 श्री देव्या उर्फ देवीलाल जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
5. संतोष पत्नी स्व0 हरिशंकर जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
6. करणा पुत्र गोगाराम
7. अनिता पुत्री करणा
8. हंसराज पुत्र करणा
9. राकेश पुत्र करणा
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम आला का बास, तहसील फुलेरा सांभरलेक, जिला जयपुर।
10. श्रीमती कोयली देवी पुत्री स्व0 श्री नाथू पत्नी श्रवण, जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई हाल निवासी ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
11. कैलाश पुत्र ओंकार
12. हनुमान पुत्र स्व0 श्री मन्नालाल
13. गेंदीलाल पुत्र स्व0 श्री मन्नालाल
14. राजूलाल पुत्र स्व0 श्री मन्नालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली माता घीसी देवी
15. रमेश पुत्र स्व0 श्री मन्नालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली माता घीसी देवी
    समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
16. जगदीश पुत्र प्रेमा, जाति मीणा, निवासी ग्राम पिण्डोलाई तहसील व जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।

.............प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक एवं हुक्म इम्तनाई [illegible] धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, [illegible]5

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर – दावा 58/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती अरशदीप बराड व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादी सं0 1 राकेश पुत्र**

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

स्व0 हरिशंकर पुत्र स्व0 बुद्धा व वादी सं0 2 कानाराम पुत्र स्व0 हरिशंकर पुत्र स्व0 बुद्धा को वाके ग्राम पिण्डोलाई, पटवार हल्का माचवां, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र कालवाड, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नं0 1057/1012, खसरा नं0 1082/1011, खसरा नं0 768, खसरा नं0 768/987, खसरा नं0 768/988, खसरा नं0 773, खसरा नं0 774, खसरा नं0 775 में पांचूराम उर्फ पांच्या पुत्र स्व0 बुद्धा के 1/12 हिस्से की भूमि में से 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 बाबूलाल, मुकेश पुत्र स्व0 श्री देव्या उर्फ देवीलाल व संतोष बेवा लाला उर्फ लालाराम को शेष 1/24 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया जाता है इस घोषणा अनुसार नामांतकरण किया जाये।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....–.......... मुबलिग ....–.......... बाबत् ....–..........

.... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....–.......... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....–.......... का

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/2/22 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)

ओहदा ....

सहायक कलक्टर

जयपुर शहर प्रथम

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	[illegible]	00	00
महन्ताना वकील	00	00	[illegible]	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	[illegible]	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत् इजराय	00	00
बाबत् इजराय	00	00	हुक्मनामा	00	00
हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम